फार्म

अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष–2017

प्रथम व्यक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष:– **2016–17**

01. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम:– **जगदीश प्रसाद सोनी**
02. वर्तमान धारित पद:– **अधीक्षण अभियंता**
03. कार्यालय का नाम :– **अधीक्षण यंत्री परीक्षण एवं संचार वृत्त म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. ग्वालियर**
04. वर्तमान वेतन :– 60680 + 7600
05. भविष्य निधि कमांक :– **G-22545909**
06. कर्मचारी संख्या :– **91552462**

C.E. (C.A.) M.P.P.T.C.L., Jabalpur Receipt No. 1227 Date 23 FEB 2017

①

क.	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, पट्टा, बंधक,विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	59 एवं 102 पुरानी पसरठ झाँसी	संयुक्त पैतृक संपत्ति गृह भवन	–	50 लाख रू. (स्वयं का हिस्सा 10 लाख रू.)	पिता के नाम स्व. श्री गणेश प्रसाद सोनी	पैतृक/विरासत से प्राप्त	निरंक	संयुक्त संपत्ति पैतृक
02.	मिशन कम्पाउण्ड ग्वालियर रोड, झाँसी	संयुक्त संपत्ति पत्नी व स्वयं के नाम गृह भवन	–	50 लाख रू. (स्वयं का हिस्सा 25 लाख रू.)	पत्नी श्रीमती पार्वती सोनी व स्वयं के नाम संयुक्त	प्लाट 60'X60' श्री नरेश अग्रवाल से 1996 में क्रय	निरंक	S.B.I.झाँसी से प्राप्त होम लोन से निर्मित
03.	कल्याण एनक्लेव शिव सांई नगर, सारिका नगर के पास ठाठीपुर, ग्वालियर	संयुक्त संपत्ति पत्नी व स्वयं के नाम गृह भवन	–	40 लाख रू. (स्वयं का हिस्सा 20 लाख रू.)	पत्नी श्रीमती पार्वती सोनी व स्वयं के नाम संयुक्त	ड्यूप्लेक्स श्री राम कुमार घुरैया से मार्च–2012 में क्रय	निरंक	L.I.C. H.F.L. से होम लोन लेकर क्रय

हस्ताक्षर :– [signature]............................

नाम :– **जगदीश प्रसाद सोनी**

पद :– **अधीक्षण यंत्री परीक्षण एवं संचार वृत्त म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. ग्वालियर**

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी – मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषण पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।

D:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads\Formate Emp. Prop. SE-2014-15